न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 18/2014

अपीलांट

सामूहिक कृषि सहकारी समिति बीठू के सदस्यगण

1. रामाराम पुत्र श्री बीजाराम पटेल
2. अशोक कुमार पुत्र श्री पुनमचंदजी राठी
3. घीसापुरी पुत्र श्री रतनपुरी गुसाई
4. सीता पत्नी जवानपुरी जी गुसाई
5. भवंरिया पुत्र श्री हरचंद जटिया
6. शंकरपुरी पुत्र श्री माधोपुरी गोस्वामी
7. हिम्मता पुत्र पुरखा मेणा
8. अशोक कुमार पुत्र श्री बुधीया हरिजन
9. मशीया पुत्र श्री नंदा मेघवाल
10. भवरिया पुत्र श्री पेमा मेघवाल
11. ओमा पुत्र श्री केरा पटेल
12. पोलगिरी पुत्र श्री सोहनगिरी गोस्वामी
13. केरा पुत्र पुखा मेघवाल
14. कुणगिरी पुत्र श्री सोहनगिरी गोस्वामी
15. नारायण पुत्र श्री प्रभु मेघवाल
16. तोलाराम पुत्र श्री कानाराम गोस्वामी
17. भेरा पुत्र श्री हरचंद जटिया
18. पीरा पुत्र श्री नंदा मेघवाल
19. शांति पत्नी श्री हरिपुरी गोस्वामी
20. सुदंरी पत्नी श्री मूलाराम मेघवाल
21. मगनाराम पुत्र श्री पुखा मेणा
22. देवगिरी पुत्र श्री सोहनगिरी
23. पदमगिरी पुत्र सोहनगिरी
24. पर्वतपुरी पुत्र श्री घीसापुरी गोस्वामी
25. नेमा पुत्र श्री नंदा मेघवाल
26. देवा पुत्र श्री घीसापुरी गोस्वामी
27. हुकमपुरी पुत्र श्री घीसापुरी गोस्वामी
28. शैतानपुरी पुत्र श्री शंकरपुरी गोस्वामी
29. दिनेश पुत्र श्री भेरा जटिया
30. हरिया पुत्र श्री पेमा मेघवाल
31. विजयपुरी पुत्र श्री घीसापुरी गोस्वामी
32. जोगापुरी पुत्र श्री शंकरपुरी
33. मदनगिरी पुत्र श्री कानगिरी गोस्वामी
34. किशनपुरी पुत्र श्री घीसापुरी गोस्वामी
35. शेषकरण पुत्र श्री पेमा मेघवाल
36. हरचंद पुत्र श्री परीजी मेघवाल
37. चंपापुरी पुत्र श्री शंकरपुरी गोस्वामी
38. श्रवण पुत्र श्री प्रभु मेघवाल
39. श्रवणपुरी पुत्र श्री हरीपुरी गोस्वामी
40. तुलसी पत्नी श्री रतनपुरी गोस्वामी
41. सारी देवी पत्नी श्री घीसापुरी गोस्वामी
42. कमला पत्नी श्री रामपुरी गोस्वामी
43. डिम्पल पत्नी श्री हुकमपुरी गोस्वामी
44. शारदा पत्नी श्री परबतपुरी गोस्वामी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

45. चंपादेवी पत्नी श्री चम्पापुरी गोस्वामी
46. हीरापुरी पुत्र श्री चंपापुरी गोस्वामी
47. कमला पत्नी श्री बाबुपुरी
48. गीता देवी पत्नी श्री हनुमानजी पटेल
49. सुरज पत्नी श्री भंवरदास वैष्णव
50. तीजो पत्नी श्री मदनदास वैष्णव
51. शांति पत्नी श्री माधुदास वैष्णव
52. संतोष कंवर पत्नी श्री नारायणसिंह पुरोहित
53. संतोष पत्नी श्री अणदापुरी गोस्वामी
54. विमला पत्नी श्री गोविन्दराम
55. अजोदिया पत्नी श्री रमेश राम
56. संतोष कंवर पत्नी श्री कानसिंह राजपुरोहित
57. मोहन पुत्र श्री प्रभु मेघवाल
58. कमला पत्नी श्री भेराराम जटिया
59. हीरा पत्नी श्री पेमा मेघवाल
60. गणपतसिंह पुत्र री मांगूसिंह राजपुरोहित समस्त निवासीगण चाटेलाव तहसील रोहट जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री महेन्द्र नारायण ओझा विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स
राजपेरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक:-26.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलक्टर पाली द्वारा मुकदमा संख्या 3/12 बउनवान सरकार बनाम सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बिठु के खसरा नंबर 288/10, 291/2, 291/3, 364, 366, 368 कुल रकबा 804 बीघा भूमि भू-आवंटन अधिनियम के तहत सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु के नाम आवंटित हुई थी। समस्त अपीलांटगण उक्त समिति के सदस्य है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भूमि आवंटन का प्रस्तुत किया, जिसमे केवल मात्र सामुहिक कृषि समिति बिठू को पक्षकार बनाया गया, किन्तु किसी सदस्य का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि स्वंय पटवारी द्वारा जारी प्रपत्र मे स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त सभी सदस्य रेकर्ड जमाबंदी के खातेदार है। ऐसी स्थिति में समस्त खातेदार सदस्यो को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। किन्तु न ही अपीलांटगण को पक्षकार बनाया गया एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखा है कि 25 सदस्य है जो जीवित है या नहीं, भूमि पर काश्त कर रहे है या नहीं, इस संबध में सदस्यो को न तो नोटिस जारी किये गये, एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांटगण द्वारा भू–आवंटन नियमो की पूर्णतया पालना की गई है। लीज वगैरह का नवीनीकरण कराया गया है। इसके अतिरिक्त ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी अपीलांट ने अपीलांट के साथ प्रस्तुत किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु ही पक्षकार के रूप में संयोजित थी। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया है। किन्तु अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, जिससे उन्हे हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किया जाना आज्ञापक था। किन्तु अपीलांटगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थना पत्र 96 सी. पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना कानूनन विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलाट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 5 (4) डी कृषि भू आवंटन नियम 1959 के तहत प्रस्तुत कर सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु के नाम वादग्रस्त आराजी ग्राम बिठु के खसरा नंबर 288/10, 291/2, 291/3, 364, 366, 368 कुल रकबा 804 बीघा आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी ग्राम बिठु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के खसरा नंबर 288/10, 291/2, 291/3, 364, 366, 368 कुल रकबा 804 बीघा भूमि सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु के नाम आवंटन की गई थी। एवं राजस्व रेकर्ड में भी उपरोक्त भूमि सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु के नाम दर्ज थी। जिससे उक्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना में सामुहिक कृषि सहकारी समिति बिठु तहसील रोहट को पक्षकार बनाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। किन्तु हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण ने उक्त अपील सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु के सदस्यगण होने के नाते प्रस्तुत की। किन्तु अपीलांटगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी प्रस्तुत नहीं किया है। एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी के अभाव में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी के अभाव में खारिज की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 3/12 बउनवान सरकार बनाम सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिठु में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2014 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय आज दिनांक 26.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली